



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन 1943 (श०)

(सं० पटना 815) पटना, सोमवार, 27 सितम्बर 2021

i f j o g u f o h k k x

v f / k l p u k
24 fl r E c j 2021

। # 06@Mkbfox Ldy ¼ kst uk/&30@2020&6123—नौसिखिये वाहन चालकों को वाहन चालन शिक्षण का अवसर देकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से तकनीकी आधारित मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु “मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना” को विभागीय अधिसूचना संख्या—8296, दिनांक—02.12.2020 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या—394(अ), दिनांक—07.06.2021 द्वारा मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रत्यायन हेतु विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। scientific एवं systematic driving training institutes की स्थापना को प्रेरित करने, scientific एवं systematic driving training के आधार पर ड्राइविंग लाइसेन्स जारी करने, युवा वर्ग के रोजगार के सृजन तथा सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस अधिसूचना के द्वारा केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 में नियम 31(क) के पश्चात् 31(ख) से 31(ज) तक नियमों को जोड़ा गया है।

अतः मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत स्थापित होने वाले चालन प्रशिक्षण केन्द्रों को और ज्यादा उद्देश्यपरक बनाने के लिए “मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान योजना” की शर्तों को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है—

- योजना की कंडिका—6 (ii) को निम्न के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“Class Room:- यातायात नियमों और विनियमों, चालन प्रक्रियाओं, यान तंत्र जनसंपर्क और प्राथमिक चिकित्सा पर थ्योरी कक्षाएँ या पाठ आयोजित करने के लिए कम्प्यूटर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जैसे शिक्षण सहायक सामग्री युक्त न्यूनतम 6 मी० x 5 मी० आकार का दो वर्ग कक्ष का पक्का निर्माण करना होगा।”
- योजना की कंडिका—6 (vii) में निम्न को जोड़ा जाता है:-

“साथ ही योग्य प्रशिक्षक, ई-भुगतान, वास्तविक समय मूल्यांकन, ऑनलाइन मूल्यांकन प्रक्रिया और प्रत्येक श्रेणी में पर्याप्त कर्मचारिवृद्ध संसाधन (शिक्षण कर्मचारिवृद्ध, आई टी कार्मिक, सफाई कर्मचारिवृद्ध आदि) की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

3. योजना की कंडिका-6 (ix) में निम्न को जोड़ा जाता है:-
“यदि हल्के मोटरयान और भारी मोटरयान दोनों के लिए प्रशिक्षण दिया जाना है तो दोनों वर्गों के लिए सिमुलेटर का क्रय कर प्रशिक्षण हेतु रखना होगा।”
4. योजना की कंडिका-6 (xiii) को निम्न के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-
“Driving Track:- प्रशिक्षणार्थियों के लिए अभ्यास कराने हेतु न्यूनतम 150 मीटर लंबाई का चालन ट्रैक जिसमें टेढ़ा-मेढ़ा, चढ़ावदार, पश्चचालन, ढालान, 8-आकार, विपरीत समानांतर पार्किंग, पश्च S-प्रशिक्षण ट्रैक भी होंगे (MORTH के मापदंड के अनुसार), का निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र के परिसर में कराना होगा।” साथ ही प्रशिक्षण यानों का विधिमान्य बीमा कराना होगा।
5. योजना की कंडिका-7 को निम्न के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-
“**if k{kd&** केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 31 (ख) (3) (iii) में प्रावधानित योग्यता के अनुरूप प्रशिक्षक के द्वारा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी होगी।”
6. योजना की कंडिका-10 (1) को निम्न के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-
“चालकों को प्रशिक्षण केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-31 (ज) के अनुसार दिया जा सकेगा।”
7. प्रपत्र-I की क्रम सं0-6 में मद का नाम “चार पहिये वाहन का सिमुलेटर का क्रय” को निम्न के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-
“हल्के मोटरयान एवं भारी मोटरयान का सिमुलेटर का क्रय”

fcgkj jkT; iky ds vknsl | §
| at; dekj vxoky]
| fpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 815-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>